भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1014

उत्तर देने की तारीखः 09.03.201**7**

ग्रामीण इलाकों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा योजना

1014. श्री अनुभव मोहंतीः

**क्या** मानव संसाधन विकास मंत्री **यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा योजना**

**लागू करने का कोई प्रस्ताव है**;

**(ख) मंत्रालय ग्रामीण तथा दूरवर्ती इलाकों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे तथा प्रबंधित किए जा रहे स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में किस ढंग से सुधार करने का विचार रखता है**; **और**

**(ग) क्या ग्रामीण तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में गरीब बच्चों के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजन में मौजूदा शिक्षा का अधिकार अधिनियम में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव है**?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री उपेंद्र कुशवाहा)

(क) : राष्‍ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ग्रेड III, V, VIII और X में बच्‍चों की अधिगम उपलब्धि का आवधिक राष्‍ट्रीय सर्वेक्षण आयोजित करती है। ग्रेड V के लिए अब तक राष्‍ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) के चार दौर आयोजित किए गए हैं और कक्षा III और VIII के लिए तीन दौर आयोजित किए गए हैं। इससे पहले दौर से चौथे दौर तक चिन्ह्ति विषयों में छात्रों की अधिगम उपलब्धि के स्‍तरों में सुधार का पता चलता है। चूंकि कक्षा X स्‍तर पर एनएएस का केवल पहला ही दौर आयोजित किया गया है, इसलिए ग्रेड X के विद्यार्थियों की तुलनात्‍मक अधिगम उपलब्धि या कमी पर टिप्‍पणी करना संभव नहीं है।

प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु केन्द्र सरकार क्रमशः सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) कार्यान्वित करती है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत, राज्‍य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के शिक्षण स्‍तरों में सुधार करने के लिए कई उपायों के संबंध में सहायता प्रदान की जाती है इनमें, नियमित सेवाकालीन शिक्षकों का प्रशिक्षण, नए भर्ती हुए शिक्षकों के लिए प्रवेश प्रशिक्षण, मुक्‍त दूरस्‍थ शिक्षा (ओडीएल) पद्धति के माध्‍यम से व्‍यावसायिक अर्हता प्राप्‍त करने के लिए सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण, छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार करने के लिए अतिरिक्‍त शिक्षकों की भर्ती, ब्‍लॉक और क्‍लस्‍टर संसाधनों के माध्‍यम से शिक्षकों हेतु शैक्षिक सहायता, छात्र निष्‍पादन को मापने के लिए शिक्षक को सतत और व्‍यापक मूल्‍यांकन प्रणाली से सुसज्जित करना और जहां आवश्‍यक हो उपचारी कार्रवाई की व्यवस्था करना और समुचित शिक्षण-अधिगम सामग्री आदि तैयार करना और शिक्षक और स्‍कूल अनुदान मुहैया कराना शामिल है। नि:शुल्‍क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 शिक्षकों के सांविधिक कर्तव्‍य और उत्‍तरदायित्‍व विनिर्दिष्ट करता है और प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित करता है। वर्ष 2016-17 के लिए, गुणवत्‍ता पहल के लिए एसएसए के तहत एसएसए निधि का 10 प्रतिशत स्‍पष्‍ट रूप से निर्धारित किया गया है।

हाल ही में केन्द्र सरकार ने सभी प्रारंभिक कक्षाओं के लिए अधिगम परिणामों को अधिसूचित किया है जिससे शिक्षकों और अभिभावकों को छात्रों के अधिगम स्तरों को मापने में सहायता मिलेगी।

इसके अतिरिक्‍त, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के एक उप-कार्यक्रम नामतः ‘पढ़े भारत बढ़े भारत’ (पीबीबीबी) के माध्‍यम से कक्षा I और II में प्रारंभिक ग्रेड अध्‍ययन, लेखन और समझ और प्रारंभिक गणित कार्यक्रम के लिए राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्‍त, सरकार ने अन्‍य बातों के साथ-साथ कक्षा में और कक्षा के बाहर कार्यकलापों के माध्‍यम से पर्यवेक्षण, परीक्षण, निष्कर्ष निकालने मॉडल बनाने के जरिए विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में 6-18 आयु वर्ग के बच्‍चों को प्रोत्‍साहित करने और उन्‍हें कार्य में लगाए रखने के लिए सर्व शिक्षा अभियान और आरएमएसए के उप-घटक के रूप में 09.07.2015 को राष्‍ट्रीय आविष्‍कार अभियान (आरएए) कार्यक्रम प्रारंभ किया है।

माध्‍यमिक स्‍तर पर विद्यार्थियों को गुणवत्‍तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक केन्‍द्रीय प्रायोजित योजना आरएमएसए के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। इसमें (i) छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार करने के लिए अतिरिक्‍त शिक्षक (ii) प्राचार्यों, शिक्षकों, मुख्‍य प्रशिक्षकों और प्रमुख उपाय कुशल व्‍यक्तियों का प्रवेश और सेवाकालीन प्रशिक्षण (iii) गणित और विज्ञान किट (iv) प्रयोगशाला उपकरण (v) अधिगम संवर्धन हेतु विशेष शिक्षण (vi) स्‍कूलों में आईसीटी सुविधाएं (vii) माध्‍यमिक स्‍तर पर व्‍यावसायिक शिक्षा घटक प्रारंभ करने के लिए प्रावधान करना शामिल है।

इसके अतिरिक्‍त, न्‍यूपा द्वारा स्‍कूल शिक्षा की गुणवत्‍ता में सुधार करने के लिए ‘शाला सिद्धि’ नामक स्‍कूल मानक और मूल्‍यांकन फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जिससे स्‍कूल और अधिक ध्यान देकर और कार्यनीतिगत तरीके से उनके निष्‍पादन का मूल्यांकन करने और उनमें सुधार करने के लिए व्‍यावसायिक निर्णय लेने में समर्थ हो सकें।

(ख) और (ग): निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में जाति, धर्म अथवा क्षेत्र पर ध्यान दिए बगैर, 6-14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है।

छात्रों तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने केन्द्रीय नियमों के अनुसार स्कूल खोलने के लिए राज्य विशिष्ट हालातों को ध्यान में रखते हुए अपने नजदीकी मानकों के क्षेत्र अथवा सीमाएं अधिसूचित की हैं। एसएसए के अंतर्गत आवासीय स्कूलों/छात्रावासों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। उदाहरणार्थ; उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं हेतु आवासीय स्कूलों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली अथवा कभी दाखिला न लेने वाली लाभवंचित बालिकाओं की पहुंच में सुधार और छितरी आबादी वाले क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए परिवहन/एस्कोर्ट सुविधा, भूमि की अनुपलब्धता के कारण जिन क्षेत्रों में स्कूल नहीं खोले जा सकते वहां रहने वाले बच्चों और और केयर तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए राज्यों को संस्वीकृत किए गए हैं। पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले और लंबे समय तक स्कूल से अनुपस्थित सभी बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1)(ग) में नजदीकी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों की कक्षा I अथवा इससे कम में कमजोर वर्गों और लाभवंचित समूहों के बच्चों को उस कक्षा की संख्या के कम-से-कम 25 प्रतिशत की सीमा तक दाखिला देने का प्रावधान है।

स्कूलिंग के माध्यमिक स्तर तक अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों सहित सभी विद्यार्थियों की पहुंच मे सुधार के लिए आरएमएसए में नए माध्यमिक स्कूलों को खोलने, और नए तथा वर्तमान माध्यमिक स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षण कक्षों, विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्ष, कला/शिल्प/संस्कृति कक्षों, शौचालयों, पेयजल सुविधाओं आदि का प्रावधान है। सभी छात्रों के नामांकन में वृद्धि के लिए पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों के सर्वेक्षण और पहचान, जागरूकता कार्यक्रम, सेतु पाठ्यक्रमों, अधिगम संख्या वृद्धि हेतु विशेष शिक्षण आदि जैसे उपायों के लिए भी आरएमएसए के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है।

**\*\*\*\*\***